

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88,पार्ट

जयपुर दिनांक 13.9.19

:: आदेश ::

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य की ओर से प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु प्राची मिश्रा, अधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से अस्थाई तौर पर पैनल लॉयर नियुक्त किया जाता है।


इनकी नियुक्ति इस विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जाने वाले अग्रिम आदेश में वर्णित सेवा शर्तों के अध्ययीन रहेगी।

आज्ञा से,

ह०
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय उपमुख्यमंत्री, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
3. पीठासीन अधिकारी, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. सचिव, लोकायुक्त, जयपुर।
8. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
11. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली।
13. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर।
14. समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
15. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
16. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
17. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
18. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
19. संबंधित अधिवक्ता।
20. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
21. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/लेखा शाखा।
23. प्रोग्रामर, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
24. रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि